HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2381/2026

Shyamveer Singh Dagur S/o Shri Naulakh Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lalit Gautam, Adv. Mr. Rajeev Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>06/02/2026</u>

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि सम्पूर्ण आरोप पत्र की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी आगामी पेशी पर केस डायरी उपलब्ध रखी जावे।

वर्तमान मामले में यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त श्यामवीर तथा अन्य अभियुक्त आरिफ मोहम्मद का जमानत आवेदन दिनांक 01.12.2025 को इस न्यायालय से वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज हुआ था, परन्तु उसके पश्चात अभियुक्त आरिफ मोहम्मद का जमानत आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–2 के न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है जो असामान्य परिस्थिति है।

2026:RJ-JP:12380

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के तथ्य का उल्लेख किया अथवा नहीं, इस बाबत् संबंधित न्यायालय से अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं पारित आदेश की प्रति मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा साथ ही विद्वान सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त की जावे।

प्रकरण दिनांक 17.02.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /69